समाचार

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग पर कार्यवाही, 1000 रू. का लगा अर्थदण्ड

कोरबा 23 दिसम्बर 2025 —नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोरबा बालको रोड व रिसदी रोड स्थित दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते हुए पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालकों को 1000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया, साथ ही निगम अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल व इससे बनी अन्य सामग्रियों का उपयोग न करें अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल व इससे बनी अन्य सामग्री के उपयोग को रोकने के लिए आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, निगम के संबंधित अधिकारी कर्मचारी दुकानों, प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि का उपयोग विक्रय, भंडारण आदि पाया जाता है तो संबंधित दुकान संचालकों पर अर्थदण्ड आरोपित करने व प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की जप्ती की कार्यवाही की जाती है। इसी कड़ी में आज कोरबा बालको रोड व रिसदी रोड स्थित दुकानों में निगम अमले द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, इस दौरान वहॉ पर स्थित दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते पाया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए इन संबंधित दुकानदारों पर निगम अमले ने 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, उन्हें कड़ी

हिदायत दी कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग दुकानों में न करें तथा वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग में लायें।

न करें प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने अपील करते हुए कहा है कि शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग कदापि न करें, प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग डिस्पोजल व अन्य सामग्रियॉ जहॉ एक ओर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वहीं दूसरी ओर साफ–सफाई व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसके साथ ही प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल जैसी सामग्रियॉ मवेशियों के लिए भी अत्यंत घातक है। उन्होने कहा कि निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अतः की जाने वाली कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।